



ऑनलाइन एनओसी एण्ड अफिलिएशन सिस्टम ONLINE NOC & AFFILIATION SYSTEM

VEER BAHADUR SINGH PURVANCHAL UNIVERSITY, JAUNPUR

JAUNPUR-222003

सन्दर्भ संख्या: PURVAN/संब/अनापत्ति/ 12023/3138

दिनांक: 13/02/2023

अनापत्ति पत्र- प्रस्तावित महाविद्यालय

शासनादेश संख्या-2103/सत्तर-2-2012-2(166)/2012 दिनांक: 09.08.2012 के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा शासनादेश संख्या-1963/सत्तर-2-2013-16(165)/2012 टीसी दिनांक: 11.12.2013, शासनादेश संख्या-710/सत्तर-2-2014-16(165)/2012 टीसी, दिनांक: 14 नवम्बर, 2014 एवं शासनादेश संख्या-23/2016/772/सत्तर-2-2016-16(116)/2015 टीसी-11 दिनांक: 22 दिसम्बर, 2016 के क्रम में अनापत्ति समिति की बैठक दिनांक: 13/02/2023 में लिये गये निर्णय के अन्तर्गत संचालक सोसाइटी Ayush Jansewa sansthan द्वारा प्रस्तावित Bhagauti Prasad Mahila Mahavidyalaya को UG स्तर पर

Course Name	Subject Name
1 BACHELOR OF ARTS	ANCIENT INDIAN HISTORY
2 BACHELOR OF ARTS	EDUCATION
3 BACHELOR OF ARTS	ENGLISH LANGUAGE
4 BACHELOR OF ARTS	GEOGRAPHY
5 BACHELOR OF ARTS	HINDI LANGUAGE
6 BACHELOR OF ARTS	HOME SCIENCE
7 BACHELOR OF ARTS	MUSIC GAYAN
8 BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION	BCA

स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों/अभिलेखों के कार्यालयी परीक्षण एवं शासनादेश दिनांक: 09.08.2012 के क्रम में उपजिलाधिकारी Jaunpur (जिलाधिकारी, Jaunpur के नामित सदस्य) के पत्रांक: 707/जाच- Bhagauti Prasad Mahila Mahavidyalaya / 2023 दिनांक: 30/01/2023 के आधार पर शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रदान की जाती है-

1- पाठ्यक्रम का संचालन अनापत्ति हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में दर्शाई गई भूमि का विवरण:

sr.	Gata/plot no	Area(SQM)	Bhumi Address
1	726	4892	SIKARARA JAUNPUR
2	736	188	SIKARARA JAUNPUR

पर निर्मित भवन में ही किया जाएगा। अन्य भूखण्ड या स्थान पर संचालित किये जाने की स्थिति में यह अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जाएगी।

2- यह अनापत्ति समिति के नामित सदस्य, उपजिलाधिकारी, Jaunpur की भूमि सम्बन्धी राजस्व अभिलेखों की परीक्षण रिपोर्ट/संस्तुति दिनांक: 30/01/2023 के आधार पर निर्गत की जा रही है तथापि महाविद्यालय के नाम भूमि के विधित: अंकित होने एवं भूमि/गाटों की संयुक्तता आदि में विसंगति की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व महाविद्यालय का होगा।

3- उक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की स्वीकृति तभी दी जाएगी जब संस्था शासनादेश सं०-3075/सत्तर-2-2002-2 (166)/2002 दिनांक 27.09.2002 एवं समय-समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार सभी आवश्यकताओं एवं औपचारिकताओं को

उक्त संस्था भविष्य में भूमि, भवन अथवा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिए न तो विश्वविद्यालय एवं न ही राज्य सरकार से मांग करेगी और न ही उसके द्वारा किये गये किसी कार्य के कारण उत्पन्न हुई देनदारी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार की होगी।

5- पाठ्यक्रम के संचालन पर पड़ने वाला समस्त व्ययभार संस्था द्वारा वहन किया जाएगा। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय या राज्य सरकार से किसी प्रकार सहायता/राजसहायता की मांग नहीं की जाएगी।

6- संस्था द्वारा प्रस्तुत अनापत्ति आवेदन पत्र की प्रविष्टियों में भविष्य में यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था का होगा और अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जाएगी।

7- शासनादेश संख्या:-2103/सत्तर-2-2012-2(166)/2012 दिनांक: 09.08.2012 के अन्तर्गत प्राप्त अनापत्ति पर/सम्बद्धता प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय द्वारा इस शर्त को सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रचलित वर्ष के 31 दिसम्बर के पश्चात प्राप्त होने वाले अनापत्ति/निर्बाधन (क्लीयरेंस) प्रस्ताव पर सम्बद्धता की पूर्वानुमति अगले शिक्षण सत्र के अनुगामी शिक्षण सत्र से देय होगी।

8- विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्राप्त होने के पश्चात उक्त पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जाएगा। विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना सम्बन्धित पाठ्यक्रम में प्रवेश की कार्यवाही कदापि प्रारम्भ नहीं की जाएगी। सम्बद्धता प्राप्त किये बिना यदि प्रवेश किये जाते हैं तो ऐसे प्रवेश वैध नहीं होंगे तथा इसके सम्बन्ध में कोई भी दावा विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

यह अनापत्ति संस्था द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अभिलेखों/प्रपत्रों के आधार पर प्रदान की जा रही है, यदि इसमें भविष्य में कोई परिवर्तन होता है, तो अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी एवं इसके लिए सचिव/प्रबन्धक, प्रबन्ध समिति स्वयं जिम्मेदार होंगे।

कुल सचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी।
4. प्रबन्धक/सचिव, Bhagauti Prasad Mahila Mahavidyalaya
5. निजी सचिव कुलपति, मा० कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
6. गार्ड फाइल।

कुल सचिव